डी. वी. सहगल से पहले जे.

मलिक सिंह और अन्य,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 8607, 1 सितम्बर 1988।

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 12 और 226–औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का IV)–एस.एस. 2(जे), 2(एस), 25बी और 25 एफ-हरियाणा राज्य केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी सेवा (सामान्य कैडर) नियम, 1975-नियम 9.3 और 9.4-कुरुक्षेत्र सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड-क्या एक 'प्राधिकरण' अनुच्छेद 12 के तहत राज्य है। धारा 25 एफ का अनुपालन किए बिना 240 दिनों से अधिक सेवा करने वाले तदर्थ कर्मचारियों की बर्खास्तगी-प्रभाव, कहा गया-बैंक में विभिन्न पदों पर चयन-प्रशासनिक समिति एक दिन में 1,000 से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेती है और 75 प्रतिशत अंकों का वेटेज देती है। साक्षात्कार–चयन–चाहे दूषित हो।

माना गया कि बैंक की 75 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी सरकार में निहित है। इसका प्रबंध निदेशक जो इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज को नियंत्रित करता है, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। पंजीयक, सहकारी समितियां, जो अधिनियम के तहत एक पदाधिकारी हैं, के पास बैंक के व्यवसाय के संचालन के लिए कई शक्तियां हैं। उसके पास इसके प्रस्तावों को रद्द करने के लिए निर्देश जारी करने, निदेशक मंडल की समिति को निलंबित करने और सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्तियां हैं। बैंक के निदेशक मंडल में छह सरकारी नामांकित व्यक्ति हैं। मनोनीत सदस्यों की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं। यहां तक कि उनके द्वारा दिया गया एक असहमति नोट भी निर्वाचित निदेशकों के सर्वसम्मत निर्णय को रद्द कर सकता है, यदि असहमति नोट को इसके संदर्भ में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार का बैंक पर व्यापक नियंत्रण है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा निवेश की गई विशाल धनराशि से की गई है और इसका प्रबंधन और प्रशासन सरकार के निर्देशों पर किया जाता है। इसलिए, यह कला भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक अधिकार है।

(पैरा 17)

यह माना गया कि इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि बैंक औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 2(जे) के अर्थ के तहत एक उद्योग है। और याचिकाकर्ता इसके साथ कामगार के रूप में कार्यरत थे जैसा कि धारा 2(एस) में परिभाषित है। इसलिए, ये कामगार अधिनियम द्वारा प्रदान की गई सेवा की सुरक्षा और अनुचित श्रम प्रथाओं के खिलाफ सुरक्षा के हकदार हैं। अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना उनकी सेवाओं की समाप्ति को अवैध माना जाता है। वे सेवा में बहाली और बकाया वेतन के हकदार हैं।

(421)

(पैरा 15 और 19)

माना गया कि कुल 40 अंकों में से 30 अंक एक उम्मीदवार का साक्षात्कार लेते समय प्रशासनिक समिति के सदस्यों द्वारा दिए जाने थे। यह कल्पना को चकरा देता है कि 5 से 7 सदस्यों वाली प्रशासनिक समिति ने एक दिन में 1,000 से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार कैसे लिया होगा और प्रत्येक उम्मीदवार को सामान्य जागरूकता, व्यक्तित्व और उनकी विशेषताओं के लिए अंक दिए होंगे, जिसके लिए 20 अंक दिए गए थे। आवंटित. यह तथ्य ही दर्शाता है कि प्रशासनिक समिति द्वारा लिए गए साक्षात्कार महज एक दिखावा थे। प्रशासनिक समिति द्वारा अपनाया गया मानदंड अस्वीकार्य है। इससे मनमाने और विकृत परिणाम आने की संभावना थी। किसी भी तरह की कल्पना से इसे वास्तविक और उचित नहीं कहा जा सकता।

(पैरा 13).

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226–औद्योगिक विवाद अधिनियम (1947 का IV)— धारा. 10–रिकॉर्ड पर तथ्यों का पेटेंट–कोई विस्तृत जांच आवश्यक नहीं–वैकल्पिक उपाय उपलब्ध–रिट क्षेत्राधिकार–क्या वर्जित है।

माना गया कि इस स्तर पर इन याचिकाकर्ताओं को राहत पाने के लिए श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के वैकल्पिक उपाय से वंचित करना न उचित होगा। तथ्य रिकॉर्ड पर पेटेंट हैं और उन्हें राहत देने के लिए किसी विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है।

(पैरा 18).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में प्रार्थना की गई है कि माननीय न्यायालय उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए सर्टिओरारी, मैन डेमस या कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी कर सकता है:

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड पेश करना;

(ii) आक्षेप को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी रिट जारी की जाए

आदेश, अनुलग्नक पी. 4 और पी. 6.

(iii) प्रतिवादी को निर्देशित करते हुए परमादेश की एक रिट जारी की जाए-

याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए चयन को बरकरार रखने के लिए अधिकारी;

(iv) माननीय न्यायालय कोई अन्य उपयुक्त, रिट या आदेश जारी कर सकता है जो वर्तमान मामले की परिस्थितियों में उचित और उचित समझा जाए;

(v) उत्तरदाताओं को अग्रिम नोटिस देने की शर्त समाप्त कर दी जाए;

(vi) रिट याचिका के साथ अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने की शर्त को भी समाप्त कर दिया जाए;

(vii) माननीय न्यायालय कोई अन्य राहत दे सकता है जो वर्तमान मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उचित और उचित समझी जाए;

(viii). उन्होंने रिट याचिका की लागत भी याचिकाकर्ताओं को दी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से जे.एल. गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, टी.एस. ढींडसा, पवन मुटनेजा और सुभाष आहूजा अधिवक्ता थे।

हरीश राठी, प्रतिवादी 1 से 3 के लिए वकील।

बी.एस. मलिक, वकील एस.वी. राठी, श्री पी.के. मलिक,

वकील भी; प्रतिवादी संख्या 4 के लिए।

बी.एस. चौहान, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

आदेश

डी. वी. सहगल, जे.

यह निर्णय रिट याचिकाओं की एक पीठ का निपटारा करेगा जिन्हें दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहली श्रेणी में शामिल हैं। 1987 की संख्या 8583 और 8607। दूसरी श्रेणी में 5176, 5177, 5494, 5844, 5845, 6103, 6140, 6881, 7101, 7132, 7133, 7247, 7275, 7951, 7960, 7991, 8 शामिल हैं। 1987 का 140 और 9386 और सी.डब्ल्यू.पी. 1988 की संख्या 4594 और 4595।

(2) पहली श्रेणी के याचिकाकर्ताओं ने हरियाणा राज्य, प्रतिवादी संख्या 1 के 6 नवंबर, 1987 के आदेश, अनुलग्नक पी.6, को चुनौती दी है, जिसके तहत चयन कुरुक्षेत्र सेंट्रल के निदेशक मंडल की प्रशासनिक समिति द्वारा किया गया था। सहकारी बैंक लिमिटेड, (संक्षेप में 'बैंक'), उत्तरदाता क्रमांक 4 को रद्द कर दिया गया है। दूसरी ओर, याचिकाओं की दूसरी श्रेणी बैंक के उन कर्मचारियों की है जिन्हें तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था और वे नोशनल ब्रेक के साथ सेवा में बने हुए थे। उनमें से अधिकांश का दावा है कि उन्हें सेवा में नियमित नियुक्ति के लिए बैंक की प्रशासनिक समिति द्वारा चुना गया था, लेकिन इन चयनों को राज्य सरकार ने उपरोक्त आदेश के तहत रद्द कर दिया है, इस तथ्य के बावजूद कि वे 240

दिनों से अधिक की अवधि से सेवा में आ चुके थे। औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 के प्रावधानों का पालन किए बिना, के तहत उनकी सेवाएँ समाप्त कर दी गईं। वे सेवा में अपनी बहाली के लिए प्रार्थना करते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें बैंक के नियमित कर्मचारियों के रूप में माना जाना चाहिए

(3) इससे पहले कि मैं इन याचिकाओं से जुड़े विवाद के सवालों पर विचार करूं, मुझे कुछ तथ्यों पर संक्षेप में गौर करना जरूरी लगता है। याचिकाकर्ताओं ने सी.डब्ल्यू.पी. 1987 की संख्या 8607 बैंक के निदेशक मंडल के निर्वाचित सदस्य/निदेशक हैं। बैंक का व्यवसाय पंजाब सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1961 की धारा 8 के तहत पंजीकृत इसके उपनियमों द्वारा विनियमित होता है, जिसे बाद में हरियाणा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1984 (संक्षेप में 'अधिनियम') द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। . बैंक के कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा की शर्तों को नियंत्रित करना। अधिनियम के प्रावधानों के तहत बनाए गए हरियाणा राज्य केंद्रीय सहकारी बैंकों के कर्मचारी सेवा (सामान्य संवर्ग) नियम, 1975 (संक्षेप में 'सामान्य संवर्ग नियम') लागू हैं। सामान्य कैडर नियम वैधानिक हैं और इन्हें लागू किया जा सकता है क्योंकि ये अधिनियम की धारा 131 के तहत सरकार द्वारा बनाए गए हैं। बैंक में कार्यरत कर्मचारियों का चयन एवं नियुक्तियां सामान्य संवर्ग नियमों के साथ पठित उपविधि 42 के अंतर्गत प्रशासनिक समिति द्वारा की जाती है। इसमें निदेशक मंडल के अध्यक्ष, तीन सरकारी नामांकित व्यक्ति, बैंक के पांच निर्वाचित निदेशक और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा, प्रतिवादी नंबर 3 का एक नामित व्यक्ति शामिल हैं। सभी याचिकाकर्ताओं में एक ही पक्ष के प्रीतम सिंह हैं। बैंक के तत्कालीन प्रबंध निदेशक और प्रतिवादी संख्या 3 के एक नामित व्यक्ति को बैंक की प्रशासनिक समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

(4) प्रशासनिक समिति की शक्तियों को उप-कानून 43 के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार है: -

43 : प्रशासनिक समिति की शक्तियाँ :–

निदेशक मंडल के नियंत्रण के अधीन प्रशासनिक समिति बैंक के कर्मचारियों के संबंध में निम्नलिखित सभी या किसी भी शक्ति का प्रयोग करेगी: -

(i) बैंक में विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करना।

(ii) बैंक में नियुक्त/नियुक्त किए जाने वाले विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान को मंजूरी देना।

(iii) बैंक में स्टाफ नियुक्त करना:

(iv) स्टाफ के सभी सदस्यों को वेतन वृद्धि स्वीकृत करना

शाखा प्रबंधक और उससे ऊपर की स्थिति;

(v) कर्मचारियों को 15 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वीकृत करना; (vi) नए सदस्यों के प्रवेश को मंजूरी देना;

(vii) निदेशक मंडल द्वारा विशेष रूप से प्रत्यायोजित किसी अन्य शक्ति का प्रयोग करना"।

प्रशासनिक समिति ने 30 जनवरी, 1987 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित पदों को भरने का निर्णय लिया:-

मलिक सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (डी. वी. सहगल, जे.)

1 . वरिष्ठ लेखाकार.	1 पोस्ट
2. कनिष्ठ लेखाकार/ई.ओ.	12 पोस्ट
3. लिपिक.	62 पोस्ट
4. टाइपिस्ट.	3 पोस्ट
5. रक्षक.	12 पोस्ट
6. चपरासी.	15 पोस्ट
7. ऐप. सचिव.	21 पोस्ट

इस निर्णय को प्रस्ताव के रूप में बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष रखा गया जिसने इसे मंजूरी दे दी। तदनुसार, इन सभी पदों को समाचार पत्रों में विज्ञापित किया गया था, विज्ञापन दिनांक 10 जनवरी, 1987 अनुबंध पी.आई. इन पदों के लिए लगभग 1400 उम्मीदवारों ने विज्ञापन अनुलग्नक पी.आई. के अनुसार बैंक के पक्ष में पोस्टल ऑर्डर के साथ अपने आवेदन जमा किए। रुपये की राशि. इस प्रकार उम्मीदवारों द्वारा 1,40,000 (लगभग) का भुगतान किया गया।

(5) सामान्य कैडर नियमों के नियम 9(1) में प्रावधान है कि प्रत्येक श्रेणी में विभिन्न पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार बोर्ड में निहित होगा, जो अपनी सभी या कुछ शक्तियाँ प्रशासनिक समिति/प्रबंधक को सौंप सकता है। यह औसत है

कि प्रशासनिक समिति को उपरोक्त नियम 9 द्वारा परिकल्पित सभी शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रशासनिक समिति ने विभिन्न पदों पर उम्मीदवारों के चयन के लिए एक मानदंड अनुलग्नक पी.2 तैयार किया। विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों का साक्षात्कार 16 फरवरी, 1987 से 2 मार्च, 1987 तक

जारी रहा। यह माना जाता है कि कुछ उम्मीदवार किसी न किसी तरह से समिति के किसी न किसी सदस्य से संबंधित थे। इन सदस्यों ने अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेते समय स्वयं को संबद्ध नहीं किया। इसके द्वारा अपनाए गए मानदंडों के अनुसार अंक आवंटित किए गए थे। विभिन्न पदों के लिए किए गए उम्मीदवारों के चयन के संबंध में कार्यवाही को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया और फिर बैंक के निदेशक मंडल के समक्ष विचार के लिए रखा गया। हालाँकि, बार-बार अनुरोध के बावजूद प्रबंध निदेशक ने काफी समय तक निदेशक मंडल की बैठक नहीं बुलाई।

जिन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार हुआ था और वे बैंक की निष्क्रियता से व्यथित होकर नियुक्तियों की उम्मीद कर रहे थे, उनमें से कुछ ने चयन और नियुक्तियों को अंतिम रूप देने के लिए बैंक के खिलाफ परमादेश की मांग करते हुए इस न्यायालय में 1987 की सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 5337 और 5516 दायर की। उत्तरदाताओं को नोटिस के बाद, जब ये याचिकाएं 1 अक्टूबर, 1987 को डिवीजन बेंच के समक्ष मोशन सुनवाई के लिए आईं, तो बैंक के वकील ने बार में एक बयान दिया कि मामले में निर्णय लेने के लिए निदेशक मंडल की एक बैठक 30 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।

(6) प्रशासनिक समिति समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न पदों पर चयन को अंतिम रूप देने के लिए 30 अक्टूबर 1987 को निदेशक मंडल की एक बैठक बुलाई गई थी। श्री जसमेर सिंह को छोड़कर बैंक के सभी निर्वाचित निदेशकों ने प्रशासनिक समिति के निर्णय का समर्थन किया और इस प्रकार इसके द्वारा विभिन्न पदों के लिए विभिन्न उम्मीदवारों के चयन की पुष्टि की गई। यह आरोप लगाया गया है कि श्री जसमेर सिंह को नई सरकार, जो सत्ता में आई थी, द्वारा केंद्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार लिमिटेड, हरियाणा संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए, उन्होंने प्रशासनिक समिति द्वारा किए गए चयनों का समर्थन नहीं किया। यह बताया गया है कि निदेशक मंडल में वे निदेशक शामिल थे जो पिछली सरकार के शासनकाल के दौरान चुने गए थे

कांग्रेस (आई) पार्टी, जबकि नई सरकार का नेतृत्व लोक दल (बी) पार्टी कर रही है। यह भी आरोप लगाया गया है कि नई सरकार याचिकाकर्ताओं सहित निर्वाचित निदेशकों को किसी न किसी तरीके से बाहर करने पर तुली हुई है। उक्त जसमेर सिंह हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री के करीबी होने के कारण जानबूझकर प्रशासनिक समिति के निर्णय का समर्थन नहीं करते थे।

(7) उपरोक्त निदेशक मंडल की बैठक के दौरान, सरकार के नामितों ने भी निर्वाचित सदस्यों/निदेशकों के निर्णय से असहमति जताई। उनका असहमति नोट अनुलग्नक पी.4 है जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित आशय का है:-

"सर्वश्री मलिक सिंह कांग, अध्यक्ष और सात अन्य निदेशक, अर्थात् सर्वश्री राम सिंह, सिंह राम, पवन कुमार शर्मा, भीम सिंह, सूबे सिंह, धर्म पाल और रणजीत सिंह ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही चयन कर लिया है और उन्होंने चयनितों की सूची तैयार की है। अभ्यर्थियों को कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया गया है। प्रबंधक को उम्मीदवारों के चयन के निर्णय वाली प्रशासनिक समिति की कार्यवाही पुस्तिका प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। कार्यवाही पुस्तिका से पता चलता है कि केवल साक्षात्कार आयोजित किए गए हैं और चयन को कभी अंतिम रूप नहीं दिया गया। इसके अलावा, कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, हरियाणा द्वारा निर्धारित संशोधित स्टाफिंग पैटर्न के कारण वित्तीय बाधा को देखते हुए, इस मुद्दे पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि ऊपर प्रस्तुत चयनित उम्मीदवारों की सूची केवल संबंधित निदेशकों द्वारा किया गया निजी चयन है और पूरी तरह से पक्षपात पर आधारित है। इस सूची में योग्यता को काबिल के रूप में कोई स्थान नहीं मिलता है

उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर दिया गया है और केवल कुछ चुनिंदा लोगों का ही चयन किया गया है। इसके अलावा, चयन करते समय, विभिन्न श्रेणियों के लिए आरक्षित कोटा बनाए नहीं रखा गया है और कुछ श्रेणियों में, विज्ञापित पदों से अधिक चयन किया गया है। इसलिए हम असहमति नोट देते हैं कि यह चयन न तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, न ही यह योग्यता पर आधारित है और न ही बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखा गया है।

इसलिए हम इन चयनों को मंजूरी नहीं देते हैं और मानते हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित करके योग्यता के आधार पर चयन नए सिरे से किया जाना चाहिए ताकि केवल योग्यता धारक ही चयन की आकांक्षा कर सकें।

यह आरोप लगाया गया है कि सरकार द्वारा नामांकित व्यक्तियों द्वारा दिया गया उपरोक्त असहमति नोट अनुलग्नक पी.4, जिस पर श्री जसमेर सिंह और सरकार द्वारा नियुक्त बैंक के

प्रबंध निदेशक ने भी सहमति व्यक्त की थी, आधारहीन, अवैध और तथ्यों के विपरीत था। इसमें माला फाइड्स की बू आ रही थी। प्रशासनिक समिति ने चयनों को अंतिम रूप दे दिया था और समिति की कार्यवाही पूरे रिकॉर्ड के साथ निदेशक मंडल के समक्ष रखी गई थी। कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन और प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा निर्धारित स्टाफिंग पैटर्न के कारण बैंक पर कोई वित्तीय बाधा नहीं थी। वास्तव में, बैंक ने अभी तक अपने कर्मचारियों के लिए संशोधित वेतनमान नियमों को नहीं अपनाया है। स्टाफिंग पैटर्न बैंक के कुल आउटपुट और आय पर आधारित है। बैंक को 30 जून 1986लगभग 30,00,000रु. का मुनाफ़ा हुआ था. इस तथ्य के बावजूद कि सरकार ने लोगों से ऋण की वसूली रोक दी थी, 30 जून 1987 को 17,00,000 रु. यदि वसूली पर रोक नहीं लगाई गई होती, तो 30 जून, 1987 को लाभ का आंकड़ा 50,00,000रुपये से अधिक होता। यह दावा किया गया है कि बैंक में विज्ञापित पदों पर 100 से अधिक कर्मचारी पहले से ही तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे। स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार सचिव, गार्ड, शाखा प्रबंधक, कार्यकारी अधिकारी आदि जैसे कुछ पदों पर चयन को टाला नहीं जा सकता है। यह आपत्ति

अन्यथा भी यह तथ्य गलत साबित होता है कि सरकार के नामांकित व्यक्तियों ने सिफारिश की है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित परीक्षा आयोजित करके योग्यता के आधार पर चयन नए सिरे से किया जाए। इस प्रकार, इन पदों पर भर्ती की योजना को वित्तीय बाधाओं या स्टाफिंग पैटर्न में बदलाव के आधार पर नहीं छोड़ा गया था। यह आरोप कि चयन पक्षपात पर आधारित थे और मेधावी उम्मीदवारों को नजरअंदाज कर दिया गया था और कम मेधावी का चयन किया गया था, जैसा कि असहमति नोट में किया गया था, को भी गंभीरता से चुनौती दी गई है। जहां तक इस आपत्ति का संबंध है कि अनुसूचित जाति और अन्य आरक्षित श्रेणियों के लिए आरक्षित पदों पर अभ्यर्थियों का चयन पर्याप्त संख्या में नहीं किया गया है, इसे भी खारिज किया जाता है। कहा गया है कि प्रशासनिक समिति

अधिकतम संख्या में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का चयन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही उपयुक्त पाए गए। इसलिए, शेष पद सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए खोल दिए गए। आरक्षित श्रेणियों के लिए निर्धारित पदों का कोटा बाद में भरा जा सकता है। आगे कहा गया है कि यह आरोप भी गलत है कि विज्ञापित पदों से अधिक उम्मीदवारों का चयन किया गया है। विज्ञापन अनुलग्नक पीआई में यह विशेष रूप से प्रदान किया गया है कि पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है लेकिन चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता के आधार पर मौजूदा पदों

पर नियुक्त किया जाना था और यदि कोई और पद उपलब्ध नहीं था तो बैंक पेशकश करने के लिए बाध्य नहीं था।

(8) असहमति नोट अनुबंध पी.4 सहित निदेशक मंडल के संकल्प को अधिनियम की धारा 29(3) के तहत सरकार को भेजा गया था, जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करता है कि जहां किसी भी मामले के संबंध में मतभेद उत्पन्न होता है सरकार द्वारा नामित किसी भी सदस्य या अधिनियम की धारा 31 के तहत नियुक्त प्रबंध निदेशक या उसके अन्य सदस्यों के बीच, मामला सोसायटी द्वारा सरकार को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा और समिति द्वारा लिया गया निर्णय माना जाएगा। उप सचिव, सहकारिता

विभाग, हरियाणा, प्रतिवादी संख्या: 2, ने दिनांक 6 नवंबर, 1987 को आदेश पारित किया, अनुलग्नक पी.6, जिसे सरकार का आदेश माना जाता है, जिसके तहत उन्होंने सरकार के नामितों के असहमति नोट को बरकरार रखा और यह आदेश दिया गया कि इस निर्णय को माना जाना चाहिए। यह निर्णय 30 अक्टूबर, 1987 को बैंक के निदेशक मंडल की बैठक में लिया गया।

(9) प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी.6 को याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित आधारों पर चुनौती दी गई है: -

1. यह कि आक्षेपित आदेश तथ्यों पर आधारित नहीं है। यह आरोप कि उम्मीदवारों का चयन पक्षपात का परिणाम था, किसी सामग्री पर आधारित नहीं है। कोई वित्तीय बाधा नहीं थी क्योंकि बैंक ने मुनाफा कमाया था। अन्यथा भी, नए चयनों के लिए नए सिरे से साक्षात्कार आयोजित करने के लिए आक्षेपित आदेश के माध्यम से निर्देश जारी किया गया था। इसका मतलब है कि रिक्तियों को भरने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके अलावा, चयनित अभ्यर्थियों की तिथियां स्वीकृत संख्या के आधार पर पदों पर नियुक्त की जानी थीं, जो अलग-अलग हो सकती हैं। मेधावी उम्मीदवारों में से कौन सा उम्मीदवार है, इसका कोई विवरण नहीं दिया गया है तारीखें खारिज कर दी गई थीं. आरक्षित श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों का चयन योग्यता के आधार पर किया गया। शेष पद बाद में होने वाले चयन में भरे जाने थे। इस प्रकार, प्रशासनिक द्वारा किए गए चयनों को परेशान करने का कोई अच्छा कारण नहीं था

2. राज्य सरकार ने यह बताने का कोई अवसर नहीं दिया कि सरकार के नामितों के असहमति नोट को क्यों नहीं अपनाया जाए। यदि अवसर दिया गया होता, तो याचिकाकर्ताओं ने सरकार को संतुष्ट कर दिया होता कि उनके नामांकित व्यक्तियों का असहमति नोट बिना किसी आधार के था। अवसर प्रदान करने में विफलता इसके आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी.6 का उल्लंघन करती है

सम्पूर्णता.

सी.डब्ल्यू.पी. 1987 का क्रमांक 8583, जो प्रथम श्रेणी में भी शामिल है, लगभग इसी तर्ज पर राज्य सरकार पर उपरोक्त आदेश को लागू करता है। यह याचिका उन 28 उम्मीदवारों द्वारा दायर की गई है जो प्रशासनिक समिति के समक्ष साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए थे और जिन्हें पदों के लिए चयनित होने की उचित उम्मीद थी। इन दोनों याचिकाओं पर लिखित बयान अकेले बैंक द्वारा दायर किए गए हैं। हरियाणा राज्य ने कोई उत्तर दाखिल करने का विकल्प नहीं चुना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए उपरोक्त तर्कों का विरोध करने के अलावा, एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि उनके पास इन याचिकाओं को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है।

(10) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है। मुझे लगता है कि पहले यह प्रश्न तय करना आवश्यक है कि क्या उपरोक्त दो याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं के पास इसे बनाए रखने का अधिकार है, और सरकारी अनुबंध पी.6 के आदेश पर आपत्ति जताई जाए। बैंक के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 29(3) में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है कि विवादित आदेश पारित करने से पहले प्रशासनिक समिति के सदस्यों या निदेशक मंडल के अन्य निर्वाचित सदस्यों को एक नोटिस जारी किया जाना चाहिए। उस बैंक के निर्णय पर, जिसके असहमति नोट को सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले सरकारी नामितियों ने असहमति जताई थी। इसलिए, दोनों रिट याचिकाओं में से किसी में भी याचिकाकर्ताओं के पास वर्तमान याचिकाओं को बनाए रखने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विवादित आदेश पारित होने से पहले उन्हें सुनने का कोई अधिकार नहीं था। इस दलील के समर्थन में, उन्होंने श्री बलदेव राज शर्मा बनाम पंजाब राज्य और अन्य (1) पर भरोसा रखा।

(11) दूसरी ओर, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि प्रशासनिक समिति के सदस्य जो बैंक के निदेशक थे, उन पर अनुचित और पक्षपातपूर्ण होने का आरोप लगाया गया था और

यह आक्षेपित आदेश में माना गया है कि उनके द्वारा किए गए चयन योग्यता के आधार पर नहीं थे और उन्होंने अपने अधिकार से आगे बढ़कर काम किया था। इन सभी आक्षेपों से उनके चरित्र पर कलंक लगता है ।इसलिए, उनके पास याचिका पर विचार करने का अधिकार है और वे शिकायत कर सकते हैं कि विवादित आदेश उन्हें सुने बिना पारित किया गया था। अपने समर्थन में, उन्होंने डी.एस. नकारा और अन्य बनाम भारत संघ (2), और नाथू राम बनाम श्री एस.एन. गोयल, निदेशक, पंचायत, हरियाणा चंडीगढ़, और अन्य में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया। 3). डी. एस. नकारा के मामले (सुप्रा) में, अंतिम न्यायालय ने माना है कि नियम है कि पर्याप्त हित रखने वाला जनता का कोई भी सदस्य सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन या संविधान के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली सार्वजनिक चोट के लिए न्यायिक निवारण के लिए कार्रवाई कर सकता है। या कानून और ऐसे सार्वजनिक कर्तव्य को लागू करने और ऐसे संवैधानिक या कानूनी प्रावधान के पालन की मांग करें। नाथू राम के मामले (सुप्रा) में, यह माना गया है कि लोकस स्टैंडी एक है संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका के मामले में यह प्रश्न अब बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। 'जनहित याचिका' कायम हो गई है. यदि याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं की ओर से किसी दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई का मामला बना सकता है, जिसके लिए न्यायालय के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, तो रिट याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा कि याचिकाकर्ता के पास कोई अधिकार नहीं है।

(12) कानून में इस नवीनतम प्रवृत्ति को देखते हुए, मैं बैंक की ओर से उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज करता हूं और मानता हूं कि याचिकाकर्ता वर्तमान रिट याचिका को बरकरार रख सकते हैं।

13) अब याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए पहले तर्क पर विचार करना आवश्यक है। मेरे समक्ष यह स्वीकार किया गया है कि 16 फरवरी, 1987 से 2 मार्च, 1987 तक 11 दिनों की अवधि में प्रशासनिक समिति द्वारा 13798 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया गया था। इसका मतलब है कि समिति ने औसतन प्रतिदिन 1000 से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया। . प्रशासनिक समिति द्वारा अपनाए गए मानदंड अनुलग्नक पी.2 से पता चलता है कि वर्ग के लिए III पद, यानी सचिव, वरिष्ठ और कनिष्ठ लेखाकार, क्लर्क और टाइपिस्ट के, कुल अधिकतम 40 अंकों में से 5 अंक शैक्षिक योग्यता के लिए और अन्य 5 अंक अनुभव, प्रशिक्षण आदि के लिए

आवंटित किए गए थे। शेष 30 अंकों में से, 10 अंक उम्मीदवार के व्यक्तित्व और सामान्य जागरूकता के लिए और साक्षात्कार के लिए 20 अंक थे। किसी उम्मीदवार के व्यक्तित्व और सामान्य जागरूकता का पता उसके साक्षात्कार के दौरान ही लगाया जा सकता है। तो, कुल 40 अंकों में से 30 अंक थे

किसी उम्मीदवार का साक्षात्कार लेते समय प्रशासनिक समिति के सदस्यों द्वारा सम्मानित किया जाना। यह कल्पना को चकरा देता है कि 5 से 7 सदस्यों वाली प्रशासनिक समिति ने एक दिन में 1000 से अधिक उम्मीदवारों का साक्षात्कार कैसे लिया होगा और प्रत्येक उम्मीदवार को सामान्य जागरूकता और व्यक्तित्व और उनकी अन्य विशेषताओं के लिए अंक दिए होंगे, जिसके लिए 20 अंक तक आवंटित किया गया था।यह तथ्य ही दर्शाता है कि प्रशासनिक समिति द्वारा लिए गए साक्षात्कार महज एक दिखावा थे। मुझे सरकार द्वारा दिए गए निर्णय अनुलग्नक पी.6 को बरकरार रखने में कोई झिझक नहीं है कि योग्यता की अनदेखी की गई है। मानदंड प्रशासनिक समिति द्वारा अपनाए गए अनुलग्नक पी.2 की अनुमति नहीं है। इससे मनमाने और विकृत परिणाम आने की संभावना थी। किसी भी कल्पना से इसे वास्तविक और तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। मेरे लिए अन्य कारकों का उल्लेख करना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है

जिसने आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी.6 पारित करते समय सरकार के साथ विचार-विमर्श किया है। मानदंड अनुलग्नक पी.2 के आधार पर किए गए चयन को सभी परिस्थितियों में रद्द किया जाना आवश्यक था और सरकार द्वारा इसे सही तरीके से रद्द किया गया था। इसे देखते हुए

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील के तर्क का दूसरा पहलू यह है कि यदि प्रशासनिक समिति के सदस्यों को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता तो वे सरकार को संतुष्ट कर देते कि चयन प्रामाणिक किया गया था, इसमें कोई बल नहीं है और इस प्रकार इसे खारिज कर दिया जाता है।

(14) अब, मैं दूसरी श्रेणी की याचिकाएँ लेता हूँ। यह विवाद में नहीं है कि इन सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को बैंक द्वारा तदर्थ आधार पर विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था और बाद में उनकी सेवाएं विवादित चयन से पहले या बाद में समाप्त कर दी गई हैं। सामान्य कैडर नियमों का नियम 9.3 नियुक्ति की प्रकृति और तरीके का प्रावधान करता है

पदों के लिए निर्धारित योग्यता. खंड (ए) का प्रावधान है

तदर्थ नियुक्तियाँ जिन्हें नोटिस के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जा सकता है। नियम 9.4 पूर्वोक्त यह बताता है कि सिवाय इसके तदर्थ नियुक्तियों के मामले में जहां अवधि अधिक नहीं होगी छह महीने और जहां ऐसी नियुक्तियों की संख्या नहीं होगी उस श्रेणी के पदों की स्वीकृत संख्या के 5 प्रतिशत से अधिक होने पर, सभी नियुक्तियाँ कम से कम एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में उचित विज्ञापन के बाद की जाएंगी जिसमें आवश्यक योग्यता और पद के वेतन ग्रेड और अन्य भत्तों का उल्लेख होगा और/; या रोजगार कार्यालय को सूचित करके। जब ये दोनों प्रो सामान्य कैडर नियमों के दृष्टिकोण को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि तदर्थ नियुक्तियाँ आम तौर पर बिना किसी सूचना के तीन महीने की अवधि के भीतर समाप्त कर दी जाती हैं और ऐसी नियुक्तियों की अवधि छह महीने से अधिक नहीं होगी। हालाँकि, मेरे सामने दायर याचिकाओं में, मैंने पाया कि अनौपचारिक नियुक्तियाँ बहुत लंबी अवधि तक काल्पनिक विराम के साथ जारी रहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, उदाहरण के लिए, सी.डब्ल्यू.पी. 1987 के क्रमांक 6103 याचिकाकर्ता क्रमांक 1 को 30 जून1986 को तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था। फिर एक काल्पनिक ब्रेक के साथ उन्हें 19 सितंबर, 1986, 19 दिसंबर, 1986, 19 मार्च, 1987 और 20 जून, 1987 को फिर से उसी अवधि के लिए नियुक्त किया गया। ऐसे मामलों में, यह स्पष्ट है कि अन्य 89 दिनों के लिए तदर्थ आधार पर नई नियुक्तियाँ दिए जाने से पहले एक दिन या कुछ दिन का काल्पनिक अवकाश, उपरोक्त नियमों का शाब्दिक अनुपालन किया जाना चाहिए। एक और प्रयास यह था कि तदर्थ नियुक्त व्यक्ति यह दावा न करे कि उसने ऐसा किया है

छह महीने से अधिक की अवधि तक सेवा में बने रहे।

15) इस बात पर विवाद नहीं किया जा सकता कि बैंक एक उद्योग है

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2(जे) का अर्थ है, और यहां याचिकाकर्ताओं को 'कामगार के रूप में' नियोजित किया गया था' जैसा कि धारा 2(एस) में परिभाषित किया गया है। इसलिए ये कामगार सेवा और सुरक्षा की सुरक्षा के हकदार हैं औद्योगिक1विवाद अधिनियम द्वारा प्रदान किए गए अनुचित श्रम प्रथाओं के खिलाफ इस अधिनियम की धारा 25-बी '(2), इंटर-सिलिया, बताती है कि एक श्रमिक को एक वर्ष की अवधि के लिए नियोक्ता के तहत निरंतर सेवा में माना जाएगा , यदि कामगार,' तारीख से पहले के बारह कैलेंडर महीनों की अवधि के दौरान - जिसके संदर्भ में गणना की जानी है, ने वास्तव में नियोक्ता के तहत कम से कम 240 दिनों तक काम

किया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ यह प्रावधान करता है कि किसी भी उद्योग में नियोजित कोई भी कामगार जो किसी नियोक्ता के अधीन कम से कम एक वर्ष से लगातार सेवा में है, उसे नियोक्ता द्वारा तब तक छंटनी नहीं की जाएगी जब तक कि कर्मचारी को छंटनी के कारणों और अवधि का संकेत देते हुए लिखित रूप में एक महीने का नोटिस नहीं दिया जाता है। नोटिस समाप्त हो गया है, या ऐसे नोटिस के बदले में कामगार को भुगतान किया गया है, नौकरी की अवधि के लिए मजदूरी, काम करने वाले को छंटनी के समय भुगतान किया गया है, मुआवजा जो एक पूर्ण के लिए 15 दिनों के औसत वेतन के बराबर होगा निरंतर सेवा का वर्ष या उसका छह महीने से अधिक का कोई भाग; और निर्धारित तरीके से नोटिस उपयुक्त सरकार या ऐसे प्राधिकारी को भेजा जाता है। उपयुक्त •सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा। धारा 2(00) 'छंटनी' को परिभाषित करती है, जिसका अर्थ है नियोक्ता द्वारा किसी भी कारण से किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त करना, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई के माध्यम से दी गई सजा। इसलिए, यह माना जाना चाहिए कि जिन याचिकाकर्ताओं को एक वर्ष की अवधि के लिए निरंतर सेवा में माना गया था, यानी उनकी सेवाओं की समाप्ति से पहले 12 कैलेंडर महीनों की कार्यवाही में 240 दिनों तक काम किया गया था, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25 एफ के तहत सुरक्षा के हकदार थे। इनमें से किसी भी याचिकाकर्ता को न तो उसमें दिए गए लाभ दिए गए और न ही लिखित रूप में एक महीने का नोटिस दिया गया, जो ऐसे कर्मचारी की छंटनी से पहले की शर्त थी।

(16) एक अन्य पहलू जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह यह है कि तदर्थ नियुक्तियों की दो अवधियों के बीच के एक दिन या कुछ दिनों की अवधि को कैसे माना जाएगा; कपूरथला सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कपूरथला में। वी. पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय, जालंधर, और अन्य (4), एक डिवीजन बेंच इस न्यायालय ने माना कि जहां श्रमिकों की सेवाएं उनके द्वारा काल्पनिक अवकाश के साथ 230 दिन की सेवा प्रदान करने पर समाप्त कर दी गईं, जब श्रमिकों का काम संतोषजनक था, और अन्य उनके स्थान पर भर्ती किया गया था, यह अनुचित श्रम का एक उदाहरण था

अभ्यास और, इस दृष्टि से जब श्रमिकों को बहाली का हकदार माना गया तो तार्किक परिणाम यह था कि उन्हें अपना पूरा बकाया वेतन मिलना चाहिए। औद्योगिक विवाद अधिनियम में 240 दिनों की सेवा पर विभाजन रेखा खींचने के लिए अंतर्निहित नीति यह थी कि यदि कोई श्रमिक

240 दिनों की अवधि के लिए संतोषजनक ढंग से काम करता है, जैसा कि पूर्वोक्त में परिकल्पना की गई है, तो वह स्थायी रूप से उतना ही अच्छा है जितना कि रोजगार में स्थायी रूप से स्वीकार कर लिया गया है। कर्मचारी की गलती के बिना उस प्रक्रिया को विफल करके नियोक्ता अनुचित श्रम व्यवहार में लिप्त होगा और जाहिर तौर पर उस आधार पर श्रमिक की सेवाओं की समाप्ति को औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा ही नजारा रहा है

इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा मृतक एम.आर.खोसला के मामले में उनकी एल.आर. के माध्यम से लिया गया। वी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंजाब स्टेट फेडरेशन ऑफ कंज्यूमर्स को-ऑपरेटिव होलसेल? स्टोर्स लिमिटेड चंडीगढ़, और अन्य (5), और द फ़िरोज़पुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड फ़िरोज़पुर बनाम पीठासीन अधिकारी, श्रम न्यायालय और अन्य (6)। इसलिए, मेरा सुविचारित विचार है कि इन सभी याचिकाकर्ताओं की दो तदर्थ नियुक्तियों के बीच पड़ने वाले कुछ दिनों के काल्पनिक ब्रेक की अवधि को उनके द्वारा सेवा में बिताई गई अवधि के रूप में माना जाएगा और ऐसा करने पर उन याचिकाकर्ताओं को जो अपनी सेवाओं की समाप्ति की तारीख से पहले 12 कैलेंडर महीनों की अवधि के दौरान बैंक में कम से कम 240 दिनों तक काम किया है, उन्हें नियमित आधार पर नियोजित माना जाएगा और ऐसी स्थिति में उनकी सेवाओं की समाप्ति को रद्द कर दिया जाएगा।

सामान्य कैडर नियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम अवैध और अधिकारातीत हैं।

17) बैंक के विद्वान वकील के प्रति निष्पक्ष होने के लिए, दो तर्कों पर ध्यान देना आवश्यक है जो उनके द्वारा विरोध करने के लिए उठाए गए हैं

इन याचिकाकर्ताओं का दावा. पहली बार में उन्होंने समर्पण कर दिया बैंक के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है

यह राज्य का साधन नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 12 में "अन्य प्राधिकरण" शब्दों के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने प्रीतम सिंह गिल बनाम पंजाब राज्य और अन्य (7) मामले में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के फैसले पर भरोसा किया। मैं आप से सहमत नहीं हूं यह सबमिशन. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि बैंक की 75 प्रतिशत से अधिक शेयर पूंजी सरकार

में निहित है। इसका प्रबंध निदेशक जो इसके दिन-प्रतिदिन के कामकाज को नियंत्रित करता है, सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जो अधिनियम के तहत एक

पदाधिकारी हैं, के पास बैंक के व्यवसाय के संचालन के लिए कई शक्तियां हैं। उसके पास वार्षिक प्रस्तावों के लिए निर्देश जारी करने, निदेशक मंडल की समिति को निलंबित करने और सरकार द्वारा नामित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नियुक्त करने की शक्तियाँ हैं। बैंक के निदेशक मंडल में छह सरकारी नामांकित व्यक्ति हैं। मनोनीत सदस्यों की शक्तियाँ बहुत व्यापक हैं। यहां तक कि उनके द्वारा दिया गया एक असहमति नोट भी निर्वाचित निदेशकों के सर्वसम्मत निर्णय को रद्द कर सकता है, यदि असहमति नोट को इसके संदर्भ में सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। ऐसा इस तरह है

स्पष्ट है कि राज्य सरकार का बैंक पर व्यापक नियंत्रण है। इसकी स्थापना सरकार द्वारा निवेश की गई विशाल धनराशि से की गई है और इसका प्रबंधन और प्रशासन सरकार के निर्देशों पर किया जाता है। इसलिए, यह माध्य के भीतर एक प्राधिकरण है

संविधान के अनुच्छेद 12 का समावेश. इस पहलू पर कानून की स्थिति रमाना दयाराम शेट्टी बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य (8), अजय हसिया आदि बनाम खालिद माजिद सेहरावर्दी और अन्य आदि (9) में अंतिम न्यायालय द्वारा तय की गई है, और कई अन्य निर्णय. इसके अलावा, तदर्थ कर्मचारियों के रूप में याचिकाकर्ताओं की सेवा की शर्तें सामान्य कैडर नियमों द्वारा शासित थीं जो चरित्र में वैधानिक हैं। उनकी शिकायत है कि उनकी सेवाएं उन नियमों के उल्लंघन में समाप्त कर दी गई हैं, क्योंकि उन्होंने छह महीने से अधिक की सेवा दे दी थी और उन्हें तदर्थ कर्मचारी नहीं माना जा सकता। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां वैधानिक नियमों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत की जाती है, इस न्यायालय के पास रिट याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।

(18) बैंक के विद्वान वकील द्वारा दी गई दूसरी दलील यह है कि याचिकाकर्ताओं के पास श्रम न्यायालय में जाने और औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ शिकायत करने और अपनी सेवाओं की समाप्ति के खिलाफ राहत पाने का वैकल्पिक उपाय था। यह प्रभावी, वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के कारण, इन याचिकाओं पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी बताया गया है कि कुछ याचिकाकर्ता पहले ही श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुके हैं और इस प्रकार इस वैकल्पिक उपाय का लाभ उठा रहे हैं। यह •सेवाओं की शुद्ध एवं सरल समाप्ति का मामला नहीं है। उन रिट याचिकाओं पर पहली श्रेणी की याचिकाओं के साथ विचार किया गया, जहां प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कई तदर्थ कर्मचारियों का चयन किया गया था।

अधिनियम की धारा 29(3) के तहत सरकार के निर्णय से समिति भी रद्द हो गयी है। सरकार के इस आदेश के कारण इन याचिकाकर्ताओं की सेवाएँ समाप्त हो गईं। उन्हें औद्योगिक के तहत संरक्षण मांगने का अधिकार है। विवाद अधिनियम और इसके उल्लंघन का दर्द भी; सामान्य संवर्ग नियम जब . प्रशासनिक समिति द्वारा किए गए चयनों को रद्द करने वाला सरकारी आदेश बरकरार रखा जाता है। इस चरण में इन याचिकाकर्ताओं को राहत पाने के लिए श्रम न्यायालय के पास जाने वाले वैकल्पिक उपाय के लिए बाध्य करना न तो न्यायसंगत होगा और न ही उचित होगा। तथ्य यह है कि रिकॉर्ड पर पेटेंट है और उन्हें राहत देने के लिए किसी विस्तृत जांच की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, मैं इस तर्क को भी खारिज करता हूं।

(19) उपरोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मैं सी.डब्ल्यू.पी. को खारिज करता हूं। 1987 की संख्या 8607 और 8583 ने पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया। ऊपर उल्लिखित दूसरी श्रेणी में आने वाली सभी शेष रिट याचिकाएं, जो तदर्थ कर्मचारियों द्वारा दायर की गई हैं, जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, का निपटारा सीधे तौर पर किया जाता है।

विचार करें कि वे याचिकाकर्ता जो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-बी (2) के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए बैंक की निरंतर सेवा में माने जाते हैं, वे 12-कैलेंडर की अवधि के दौरान, पूर्ववर्ती महीने उनकी सेवाओं की समाप्ति की तिथि को वास्तव में बैंक के साथ कम से कम 240 दिनों तक काम किया गया था, उन्हें बैंक के नियमित रोजगार में माना जाएगा। टर्मिना

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25-एफ के प्रावधानों का अनुपालन किए बिना उनकी सेवाओं का उपयोग अवैध माना जाता है। वे सेवा से हटाए जाने की तारीख से सेवा में बहाली के हकदार हैं। उन्हें उक्त तिथि से सेवा में वापस लिये जाने की तिथि तक वेतन मिलेगा। बैंक आज से एक महीने के भीतर इस आदेश का पालन करेगा। हालाँकि, यह स्पष्ट कर दिया गया है कि शेष याचिकाकर्ता किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं और इसलिए उनके दावे खारिज कर दिए जाते हैं। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया

जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जसमीत कौर

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TraineeJudicial Officer)

कैथल, हरियाणा